संख्या-145 /2025/2426/26-3-2025-1396097

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2275-77/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 01.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समय-सारिणी में प्रथम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार तिथियां निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	पूर्व की समयावधि	समयावधि
1	2	3	4
	प्रथम चरण		
1	**विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना**	31 अगस्त, 2025 तक	07 सितम्बर, 2025 तक
2	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2025 से 09 सितम्बर, 2025 तक	08 सितम्बर, 2025 से 14 सितम्बर, 2025 तक
3	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	01 सितम्बर 2025 से 11 सितम्बर, 2025 तक	08 सितम्बर, 2025 से 14 सितम्बर, 2025 तक
4	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध	12 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक	15 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक

	डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।		

2- उल्लिखित करना है कि शासनादेश संख्या-129/2025/1905/26-3-2025-1396097 दिनांक 28-07-2025 द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025- 26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/ संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- प्रथम चरण में विद्यालयों से 31 अगस्त, 2025 तक छात्रों के अग्रसारित आवेदन पत्र पर निर्णय लेते हुए 02 अक्टूबर, 2025 को धनराशि भुगतान किया जाना निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग में 31 अगस्त, 2025 तक 70,468 आवेदन विद्यालयों द्वारा अग्रसारित किये गये हैं जो अत्यन्त न्यून संख्या है। दिनांक 28, 29 व 30 अगस्त को सर्वर पर अत्यधिक लोड होने पर साइट अत्यधिक धीमी चलने या बन्द हो जाने के कारण विद्यालय/जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से प्रोफाइल लॉक नहीं हो पाये थे। इसलिए अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु विद्यालयों से 31 अगस्त, 2025 तक आवेदन अग्रसारण के स्थान पर 07 सितम्बर, 2025 तक अग्रसारित आवेदन को ले लिया जाय। इससे सभी वर्गों के छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 08-09-2025 18:34:31

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-145/2025/2426/26-3-2025-1396097

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2275-77/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 01.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समय-सारिणी में प्रथम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार तिथियां निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	पूर्व की समयावधि	समयावधि
1	2	3	4
	प्रथम चरण		
1	**विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना**	31 अगस्त, 2025 तक	07 सितम्बर, 2025 तक
2	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2025 से 09 सितम्बर, 2025 तक	08 सितम्बर, 2025 से 14 सितम्बर, 2025 तक
3	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	01 सितम्बर 2025 से 11 सितम्बर, 2025 तक	08 सितम्बर, 2025 से 14 सितम्बर, 2025 तक
4	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध	12 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक	15 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक

	डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।		

2- उल्लिखित करना है कि शासनादेश संख्या-129/2025/1905/26-3-2025-1396097 दिनांक 28-07-2025 द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025- 26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/ संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- प्रथम चरण में विद्यालयों से 31 अगस्त, 2025 तक छात्रों के अग्रसारित आवेदन पत्र पर निर्णय लेते हुए 02 अक्टूबर, 2025 को धनराशि भुगतान किया जाना निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग में 31 अगस्त, 2025 तक 70,468 आवेदन विद्यालयों द्वारा अग्रसारित किये गये हैं जो अत्यन्त न्यून संख्या है। दिनांक 28, 29 व 30 अगस्त को सर्वर पर अत्यधिक लोड होने पर साइट अत्यधिक धीमी चलने या बन्द हो जाने के कारण विद्यालय/जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से प्रोफाइल लॉक नहीं हो पाये थे। इसलिए अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु विद्यालयों से 31 अगस्त, 2025 तक आवेदन अग्रसारण के स्थान पर 07 सितम्बर, 2025 तक अग्रसारित आवेदन को ले लिया जाय। इससे सभी वर्गों के छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 08-09-2025 18:34:31

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

1396097

2426/26-3-25

DIRSW-EDUA0MDRL/4/2025-EDU-A-DIRSW

1/258461/202

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,
समाज कल्याण अनुभाग-3

पत्रांक:- 2275-77 /स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26

लखनऊ: दिनांक : 01 सितम्बर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक-129/2025/1905/26-3-2025-1396097 दिनांक 28-07-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/ संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

2- प्रथम चरण में विद्यालयों से 31 अगस्त, 2025 तक छात्रों के अग्रसारित आवेदन पत्र पर निर्णय लेते हुए 02 अक्टूबर, 2025 को धनराशि भुगतान किया जाना निर्धारित है। उल्लेख करना है कि अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग में 31 अगस्त, 2025 तक 70,468 आवेदन विद्यालयों द्वारा अग्रसारित किये गये हैं जो अत्यन्त न्यून संख्या है। अवगत कराना है कि 28, 29 व 30 अगस्त को सर्वर पर अत्यधिक लोड होने पर साइट अत्यधिक धीमी चलने या बन्द हो जाने के कारण विद्यालय/जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से प्रोफाइल लॉक नहीं हो पाये थे। इसलिए अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु उचित होगा कि विद्यालयों से 31 अगस्त, 2025 तक आवेदन अग्रसारण के स्थान पर 07 सितम्बर, 2025 तक अग्रसारित आवेदन को ले लिया जाय। इससे सभी वर्गों के छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी।

अतः उक्त क्रम में शासन से अनुरोध है कि कृपया 02 अक्टूबर, 2025 को अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत

01/09/2025

समय-सारिणी में प्रथम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार तिथियां निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	पूर्व की समयावधि	प्रस्तावित समयावधि
1	2	3	4
	प्रथम चरण		
1	<u>विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u>	31 अगस्त, 2025 तक	07 सितम्बर, 2025 तक
2	<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना</u> सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर, 2025 से 09 सितम्बर, 2025 तक	08 सितम्बर, 2025 से 14 सितम्बर, 2025 तक
3	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	01 सितम्बर, 2025 से 11 सितम्बर, 2025 तक	08 सितम्बर, 2025 से 14 सितम्बर, 2025 तक
4	<u>जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 सितम्बर, 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक	15 सितम्बर, 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक

भवदीय

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT
Date: 01-09-2025
16:43:04

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।